



Neutral Citation No-2026:AHC:9169

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4736 वर्ष 2025

अजय याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आंकार नाथ राय, सुधीर भारती

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है: -

"I) यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9ए(2) के तहत मामले की संख्या-1297 वर्ष 2016(अजय और अन्य बनाम तुफानी और अन्य) पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए प्रतिपक्षी संख्या-2 (अंतिम अभिलेख) (अंतिम अभिलेख), कुशीनगर को आदेश देने और निर्देश देने वाली परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश की कृपा करें।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता और अन्य की ओर से दायर यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9ए(2) के तहत आपति अभी भी 15.02.2016 से लंबित है, इस तथ्य के बावजूद कि उपरोक्त आपति में प्रतिपक्षी पहले ही उपस्थित हो चुके हैं और मामला अंतिम निर्णय के लिए तैयार है।
4. स्थायी अधिवक्ता को कोई आपति नहीं है, यदि उपरोक्त मामले के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, चकबंदी अधिकारी (अंतिम अभिलेख) (प्रतिपक्षी संख्या-2) को निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका को अंतिम रूप से निपटाने के लिए उचित समझता है, जिसके समक्ष उपर्युक्त मामला निपटान के लिए लंबित है, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से पांच महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से, अधिमानतः निर्णय लेना चाहिए।

6. यह उम्मीद की जाती है कि यह कानून के अनुसार, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, एक तर्कसंगत और आख्यापक आदेश द्वारा तय किया जाना चाहिए।

7. उपरोक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

जनवरी 14, 2026

विनय

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)